भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3437

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों पर आयुष योजनाओं का प्रभाव

3437. एडवोकेट चंद्र शेखर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समूहों के लिए आयुष योजनाओं के परिणामों के संबंध में विशेष रूप से रोग भार और स्वास्थ्य सेवा की सुलभता के संदर्भ में सरकार द्वारा रखे गए आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए इन पहलों की प्रभावशीलता में और सुधार करने के लिए व्यवस्थित अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन या तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय एससी/एसटी/ओबीसी समूहों सहित देश की पूरी आबादी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से केंद्रीय प्रायोजित योजना यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) को लागू कर रहा है। एनएएम के तहत, एससीएसपी और टीएसपी श्रेणियों के तहत अनुदान जारी करने के लिए अलग-अलग बजट शीर्ष हैं। हालांकि, अनुदान प्राप्त करने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। एनएएम के तहत प्रमुख प्रावधानों का विवरण **संलग्नक- I** के रूप में संलग्न है। जनस्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते, डेटा के रखरखाव और आयुष स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने सहित योजना के कार्यान्वयन के बारे में प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

(ख) और (ग): इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों सहित देश की समस्त जनसंख्या के लाभ के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता में सुधार हेतु, तृतीय पक्ष मूल्यांकन और एनएबीएच मूल्यांकन के अलावा, केंद्रीय टीम द्वारा क्षेत्रीय दौरे, व्यक्तिगत बैठकें, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। दौरा करने वाली टीमों द्वारा यह देखा गया है कि आयुष सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के बाद, आयुष मंत्रालय (एएएम) सहित आयुष सुविधाओं में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। एएएम (आयुष) के मामले में रोगियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, क्योंकि ओपीडी सेवाओं के अलावा, ये सुविधाएं प्रकृति परीक्षण, सुविधा के साथ-साथ समुदाय के स्तर पर योग संबंधी गतिविधियां, सामान्य औषधीय पौधों के उपयोग के बारे में जागरूकता आदि जैसी कई अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अलावा दौरा करने वाली टीम द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को एएएम

(आयुष) टीम के उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ रेफरल संबंधों को मजबूत करने, एएएम (आयुष) सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से आयोजित की जा रही गतिविधियों के बेहतर परिणाम के लिए क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं विशेष रूप से आशा आदि की प्रभावी भागीदारी के लिए सुझाव दिया गया है।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का प्रावधान है:

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन, जिनका नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) रखा गया है।
(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना हेतु भवन का निर्माण।
(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति।
(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
(viii) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
(ix) आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचना विकास/अतिरिक्त स्नातकोत्तर/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम।